



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)
प्रेस नोट

➤ एसीबी चौकी भिवाडी द्वारा आरोपी रामस्वरूप कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत सिहाली खुर्द, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा को 1000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर दिनांक 07 अप्रैल 2006, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी भिवाडी द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रामस्वरूप कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत सिहाली खुर्द, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा को 1000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया की एसीबी की भिवाडी चौकी को एक शिकायत परिवादी से इस आशय की मिली कि मैं अपने व अपने परिवार के सदस्यों की फव्वारा पाईप लाईन के अनुदान हेतु राजस्थान किसान पोर्टल पर पत्रावली लगाने पर कर्मचारी श्री रामस्वरूप कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत सिहाली खुर्द, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा ने उक्त पत्रावलियों को स्वीकृत करवाने के लिए 2,000/- रुपये फोन-पे के जरिये लेना व 2500/- रुपये की रिश्वत की और मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री अनिल कयाल के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी भिवाडी के प्रभारी उप अधीक्षक पुलिस परमेश्वर लाल द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी रामस्वरूप कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत सिहाली खुर्द, तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा को परिवादी से 500/- रुपये मांग सत्यापन दिनांक 06.04.2026 को लेने व शेष राशि 1000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।